"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2007—पौष 29, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सतवीर सिंह आत्मज श्री दयाल सिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी ए-12/ए, सेन्ट्रल ऐवेन्यु, स्मृति नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग छ. ग. का हूं. मैं अपने नाम सतवीर सिंह के साथ उपनाम को जोड़कर सतवीर सिंह संघेरा रख लिया हूं तथा इसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सतवीर सिंह संघेरा आत्मज श्री दयाल सिंह संघेरा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सतवीर सिंह निवासी-ए-12/ए, सेन्ट्रल ऐवेन्यु स्मृति नगर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	सतवीर सिंह संघेरा निवासी-ए-12/ए, सेन्ट्रल ऐवेन्यु स्मृति नगर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, रायगढ़ छत्तीगसढ़

रायगढ़, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक-13333/व. लि./2006.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक चार की कंडिका-5 एवं छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एम-3/2/1999/1/4, दिनांक 30-3-1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. एस. के. राजू, आई.ए.एस. कलेक्टर, रायगढ़ कलेण्डर वर्ष 2007 के लिये रायगढ़ जिले में निम्नानुसार सम्पूर्ण दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

क्रमांक	तिथि	दिन	पर्व का नाम
1.	3-1-2007	बुधवार	छेरछेरा (छत्तीसगढ़ी त्यौहार)
2.	16-7-2007	सोमवार	रथयात्रा
3.	20-11-2007	मंगलवार	कार्तिक एकादशी/नामदेव जयंती

उक्त अवकाश कोषालय/उप-कोषालयों/बैंकों के लिये लागू नहीं होंगे.

एस. के. राजू,
कलेक्टर.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

[छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/511/संपंध/परि./2002.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंध/परि/714, दिनांक 4-12-2000 के द्वारा श्रृंगी ऋषी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित सेमरा तहसील नगरी जिला धमतरी जिसका पंजीयन क्रमांक 1919 दिनांक 22-7-1966 है को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री के. आर. निर्मलकर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था को परिसमापक का कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृन्झ प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धमतरी (छ. ग.) छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/6/79/1/15 दी दिनांक 27-8-1979 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 26-12-2006 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृन्झ,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1777.—पंजीयन क्रमांक 3113 दिनांक 1-1-81 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1519 दिनांक 6-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर कोटना फर्सी पत्थर खदान स. स. ओड़गन को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1778.—पंजीयन क्रमांक 487 दिनांक 19-9-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1517 दिनांक 6-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर महिला बेकरी उद्योग स. स. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. एम. खैरवार स. नि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1779.—पंजीयन क्रमांक 62 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1516 दिनांक 6-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर आदिवासी परिवहन स. स. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. एम. खैरवार स. नि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1780.—पंजीयन क्रमांक 435 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1520 दिनांक 6-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर म्युनिसिपल हरि. कर्म. थ्रिफ्ट स. स. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा नंदे स. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/1781.—पंजीयन क्रमांक 3121 दिनांक 20-7-82 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1518 दिनांक 6-12-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर बजरंग कोटना फर्सी पत्थर स. स. ओड़गन को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, जिला बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2006

क्रमांक/2242/परि./2006-07.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर द्वारा छ. ग. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में आने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. उमरमरा	3749/13-9-96	600/17-5-06
2.	सत्यनारायण बुनकर सहकारी समिति मर्या. लोफंदी	121/	599/17-5-06
3.	गतौरी फलफूल सब्जी सहकारी समिति मर्या. गतौरी	3810/14-10-96	648/29-5-06
4.	फलफूल सब्जी सहकारी समिति मर्या. गोढ़ी	3957/14-9-2000	647/29-5-06
5.	फलफूल सब्जी सहकारी समिति मर्या. बाम्हू	3537/22-7-94	654/29-5-06
6.	जय शंकर कामगार सहकारी समिति मर्या. उडगन	3847/	796/9-6-06
7.	आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्या. तेलसरा	3448/10-3-97	764/20-6-06
8.	ईंट भट्ठा कामगार सहकारी समिति मर्या. भाडी	3536/22-7-94	765/20-6-06
9.	ईंट भट्ठा कामगार सहकारी समिति मर्या. मगरउछला	3712/01-02-96	767/20-6-06
10.	मां शक्ति कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या. भाडी	3499/25-1-93	782/27-7-06
11.	श्री बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. बिल्हा	3465/9-8-92	878/11-7-06
12.	ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. मगरउछला	3396/15-7-91	879/11-7-06
13.	मजदूर सहकारी समिति मर्या. पौसरा	3717/29-2-96	880/11-7-06
14.	भारत ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. धौराभांठा (हिर्री)	3454/20-2-91	881/11-7-06

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	खनिज सहकारी समिति मर्या. अमेरीकांपा (ताला)	3797/1-10-96	882/11-7-06
16.	खनिज सहकारी समिति मर्या. अमलडीहा	8798/1-10-96	883/11-7-06
17.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चकरभाठा	757/14-11-78	884/11-7-06

अतएव छ. ग. सहकारी संस्था नियम 1962 के नियम 57 (5) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती कि उपरोक्त समितियों के समस्त देनदार, लेनदार अपने दावे मय प्रमाण-पत्र के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा जिला बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होगे. तथा समिति की लेखा पुस्तकें अंकेक्षण टीप में लेख समस्त दायित्व स्वत: विधिपूर्वक प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 29-11-06 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

के. ए. खान,
परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, मस्तूरी, जिला बिलासपुर

मस्तूरी, दिनांक 27 नवम्बर 2006

क्रमांक/1672/परि./06-07.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर द्वारा छ. ग. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में आने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नवयुवक हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. मस्तूरी	3118	601/17-5-06
2.	हरिजन मछुवा सहकारी समिति मर्यादित रांक	3203	598/17-5-05
3.	आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित डोड़की	3608	779/17-5-06
4.	मछुवा सहकारी समिति मर्यादित मचखंडा	3677	602/17-5-06
5.	मछुवा सहकारी समिति मर्यादित बनियाडीह	3814	1279/17-10-05
6.	बिलासा मछुवा सहकारी समिति मर्यादित रिस्दा	3825	603/17-5-06
7.	केवट निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्यादित गतौरा	137	529/24-4-06
8.	सतनाम परिवहन मछुवा सहकारी समिति मर्यादित मस्तूरी	92	777/27-6-05
9.	परिवहन सहकारी समिति मर्यादित जुनवानी	67	531/24-4-06
10.	आदर्श बांस उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित जेवरा	3501	783/27-6-05
11.	छ. ग. ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित लूतरा	3647	766/27-6-06
12.	जय भवानी ईंट भट्ठा, सहकारी समिति मर्यादित दर्राभाठा	3541	597/17-5-06
13.	ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित मनवा	3701	596/17-5-06

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित गोड़ाडीह	3703	778/27-6-06
15.	सतनाम ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित सुकुलकारी	3824	719/9-6-06
16.	रेत खनिज सहकारी समिति मर्यादित दर्रीघाट	3781	1001/18-8-05
17.	खनिज सहकारी समिति मर्यादित लावर	3782	717/9-6-06
18.	लीलागर खनिज सहकारी समिति मर्यादित कुली	3786	953/8-8-05
19.	खनिज कामगार सहकारी समिति मर्यादित देवरी	3884	718/9-6-06
20.	बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्यादित नवाडीह	3933	714/9-6-06
21.	बुनकर सहकारी समिति मर्यादित मल्हार	2760	
22.	बुनकर सहकारी समिति मर्यादित जांजी	2742	

अतएव छ.ग. सहकारी संस्था नियम 1962 के नियम 57 (5) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त समितियों के समस्त देनदार, लेनदार अपने दावे मय प्रमाणपत्र के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी जिला बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे. तथा समिति की लेखा पुस्तकें अंकेक्षण टीप में लेख समस्त दायित्व स्वतः विधिपूर्वक प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक ....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

बी. आर. यादव,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.